The Madhya Pradesh Vas-Sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Sanshodhan Adhiniyam, 2012

Act 21 of 2012

Keyword(s):
Vas-Sthan Dakhalkar, Bhumiswami Adhikar, Land Owner, Rights, Land

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217]   भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 अप्रैल 2012—वैशाख 10, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. 2665-167-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०१२

मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०१२

[दिनांक २५ अप्रैल, २०१२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक ३० अप्रैल, २०१२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०१२ है.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ४ सन् १९८०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, अंक तथा शब्द ''१४ अप्रैल, २००३'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''३१ दिसम्बर, २०११'' स्थापित किए जाएं.

धारा ३ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ३ में खण्ड (दो) तथा (तीन) में, अंक तथा शब्द "१४ अप्रैल, २००३" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०११" स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द "१४ अप्रैल, २००३" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०११" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. 2666-167-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, 2012 (क्रमांक 21 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 21 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH VAS-STHAN DAKHALKAR (BHUMISWAMI ADHIKARON KA PRADAN KIYA JANA) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2012

[Received the assent of the Governor on the 25th April, 2012; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th April, 2012.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vas-sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1980.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India, as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vas-sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Sanshodhan Adhiniyam, 2012.

Amendment of Section 2. 2. In Secton 2 of the Madhya Pradesh Vas-sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1980 (No. 4 of 1980) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the figures and word "14th April, 2003", the figures and word "31st December, 2011" shall be substituted

Amendment of Section 3. 3. In Section 3 of the Principal Act, in clauses (ii) and (iii), for the figures and word "14th April, 2003", the figures and word "31st December, 2011" shall be substituted.

Amendment of Section 4. 4. In sub-section (1) of Section 4 of the Principal Act, for the figures and word "14th April, 2003", the figures and word "31st December, 2011" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.